# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 819 / SEIAA/2022
Date: 22/6/22

प्रति,

श्री नवल सिंह बघेल आत्मज श्री ललता प्रसाद बघेल,
निवासी– हिबाला, पोस्ट मण्डला,
तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.)

**विषयः प्रकरण क्रमांक 7947/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री नवल सिंह बघेल आत्मज श्री ललता प्रसाद बघेल, निवासी– हिबाला, पोस्ट मण्डला, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 9938 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/1/ख, रकबा 1.60 हेक्टेयर, ग्राम बम्हनगॉव, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

SEIAA की 682वी बैठक दिनांक 26.08.2021 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 504वी बैठक दिनांक 23.07.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन (ई.आई.ए.) को निरस्त किया गया है।

***The case was considered in 504th SEAC meeting dated 23.07.2021 & it was recorded that………***

- *Committee observed that as per approved mine plan blasting is proposed thus committee after deliberation decided that in the light of NGT order in O.A. no. 304/2019 dated 21.07.2020 (if blasting is proposed minimum distance shall be 200 meters)* ***this case cannot be considered for grant of EC being only 70 meters away from the habitations and as per approved mine plan blasting is proposed***

***After detailed discussion, it was decided to accept the recommendation of SEAC that the case cannot be considered for grant of EC and this case is hereby rejected. Copy to PP and all concerned.***

*उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पत्र दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से माननीय एनजीटी के आदेश के परिपालन में नो ब्लास्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत संशोधित ई.आई.ए. रिपोर्ट मय संशोधित माईनिंग प्लान के साथ पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन को मान्य करने का अनुरोध किया गया है एवं परिवेश पोर्टल पर पुनः इसी प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. का आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अनुमति चाही गई है।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण क्र. 7947/2020 पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. एवं पुनरीक्षित खनन योजना (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) का परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें तथा उक्त आवेदन को पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में आपको सूचित किया जाता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. एवं पुनरीक्षित खनन योजना (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) का परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें, तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

O/C

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी